HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 529 BNSS No. - 4236 of 2025

Smt. Hema Bhati and another

…..Applicant(s)

Versus

State of U.P. and another

…..Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Bal Mukund Singh, Shri Prakash Mishra
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 50

HON'BLE SHEKHAR KUMAR YADAV, J.

1 आदेश दिनांक 14–1–2026 के अनुपालन में विपक्षी संख्या 2 पति न्यायालय के समक्ष उपस्थित है उनके द्वारा कथन किया गया कि पूर्व में उनके मध्य कुछ मनमुटाव हो गया था, जिसको वे हल करना चाहते है तथा साथ में रहकर अपना दम्पत्ति जीवन व्यतीत करना चाहते है।

2–पूर्व में दिनांक 29–1–2026 को आवेदिका संख्या 1 पत्नी इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के सदस्यो के साथ उपस्थित हुई थी लेकिन विपक्षी संख्या 2 पति कुछ अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सका था और उसकी ओर से एक समय की मांग की गयी थी जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

3–दिनांक 29–1–2026 को आवेदिका संख्या 1 पत्नी ने उपस्थित होकर सहमति व्यक्त की थी वह विपक्षी संख्या 2 पति के साथ जाने के लिए तैयार है।

4–विपक्षी संख्या 2 पति द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह अपनी पत्नी को साथ में रखने हेतु तैयार है और वह दिनांक 25–2–2026 को

अपनी पत्नी के मायके जाकर सम्मानपूर्वक अपनी पत्नी व बच्चे को बिदा कराके लायेगा और वह सरकारी सेवा में है तथा जहां पर भी तैनात रहेगा वहां उन्हें अपने साथ रखेगा।

5—उपरोक्त आधार पर विपक्षी संख्या 2 पति को आदेशित किया जाता है कि वे आपस में साथ रहे और अपना वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत करे। यह भी आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष के परिवार वालो के द्वारा आपस में साथ रहने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा जिससे कि उनके आपस में एक साथ रहने में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। यदि उभय पक्ष के परिवारवालों द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो इस सम्बंध में सम्बन्धित पुलिस को स्वतंत्रता होगी कि वे उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही करें।

6—यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका पत्नी के मायके वाले ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगें, जिससे कि विपक्षी संख्या 2 पति का अपमान हो यदि उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो भी सम्बन्धित पुलिस को यह अधिकार प्राप्त हागा कि वह उनके विरूद्व इस सम्बंध में उचित विधिक कार्यवाही निष्पादित करेगें।

7—तदनुसार इस वाद को दिनांक **25—3—2026** को नये वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

8—उपरोक्त नियत तिथि पर उभय पक्ष इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगें तथा अपने सुखम जीवन के बारे में न्यायालय को अवगत करायेगें।

(Shekhar Kumar Yadav,J.)

February 16, 2026
A.

Digitally signed by :-
AFAQ AHMAD
High Court of Judicature at Allahabad